कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आंवटी/ अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों के पक्ष में संयुक्त नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की राजस्व ग्राम चौरसियावास योजना के आवासीय/भूखण्ड संख्या खसरा नं. 1642 क्षेत्रफल 617. 51 वर्ग गज के आवंटी/अन्तरिति अतुल भार्गव पुत्र जितेन्द्र नाथ भार्गव निवासी B-101 वैशाली नगर जयपुर की मृत्यु दिनांक 1/2/2022 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट संलग्न कर मृतक के वारिसों क्रमश (1) श्रीमती सुमिता भार्गव पत्नि स्व. अतुल भार्गव (2) नवतेज भार्गव पुत्र स्व अतुल भार्गव (3) अंशिका भार्गव पुत्री स्व. अतुल भार्गव (4) रिशीका भार्गव पुत्री स्व. अतुल भार्गव निवासी बी-101 वैशाली नगर जयपुर द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तरण किये जाने के सबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावे उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदको के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

क्रमांक-तामीरात /1851 दिनांक: 10/2/2025

उजरदारी नोटिस

श्री रमेश बैरवा पिता श्री रामदेव बैरवा निवासी गुलाबपुरा वार्ड नम्बर खसरा नं. 982, 985 भू.सं. 21 (25X45) फीट हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः इस सूचना पत्र के माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रसारित की जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त भवन निर्माण स्वीकृति/भू-खण्ड हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो लिखित रूप में मय दस्तावेजी प्रमाणों को संलग्न करते हुये एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत कर दें। उक्त अवधि के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। पत्रावली एवं दस्तावेजों का निरीक्षण कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के समय देखा जा सकता है।

पड़ौस विवरण

पूर्व- श्री रामलाल/जवाना कोली — पश्चिम - भू. सं. 20 स्थित

उत्तर - आम रास्ता - 20 फीट — दक्षिण - आम रास्ता - 20 फीट

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका गुलाबपुरा

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक- न.नि.अ/24-25/भवन/824 दिनांक: 13-2-25

आपत्ति सूचना

श्री अशोक छतवानी पुत्र श्री नारायणदास छतवानी एवं श्रमती अनीशा छतवानी पत्नी श्री अशोक छतवानी निवासीगण ई-61 बलदेव नगर माकडवाली रोड, अजमेर द्वारा एक सम्पजि जो ए.एम.सी. नं. 10/153 = 170/16 296/8 का दक्षिणी भाग है जो वाके अन्दरून मदारगेट घी मण्डी, अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 67.38 व.मी. है भूमि के मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानसार हैं।

पूर्व - पैसेज — पश्चिम - रास्ता आम घी मण्डी रोड

उत्तर - इसी ए.एम.सी. नं. 10 / 153 का शेष भाग सम्पति जो श्री सुनील छतवानी एवं श्रीमती कविता छतवानी को विक्रय की गई है — दक्षिण - सम्पति श्री सुनील एवं श्री हरीश छतवानी की है

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक- न.नि.अ/24-25/भवन/826 दिनांक: 13-2-25

आपत्ति सूचना

श्री सुनील कुमार छतवानी पुत्र श्री नारायणदास छतवानी एवं श्रीमती कविता छतवानी पत्नी श्री सुनील कुमार छतवानी निवासीगण ई-61 बलदेव नगर माकडवाली रोड, अजमेर द्वारा एक सम्पजि जो ए.एम.सी. नं. 10/ 153 = 170/16 296 / 8 का उत्तरी भाग है जो वाके अन्दरून मदारगेट घी मण्डी,- अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 67.37 व.मी. है भूमि के मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानसार हैं।

पूर्व - पैसेज — पश्चिम - रास्ता आम घी मण्डी रोड

उत्तर - पैसेज — दक्षिण - इसी ए.एम.सी. नं. 10/153 का शेष भाग सम्पति जो श्री अशोक छतवानी एवं श्रीमती अनीशा छतवानी को विक्रय की गई है।

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक : योजना/2024-25/557 **सार्वजनिक सूचना** दिनांक : 12.02.2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री कन्हैया लाल एवं श्री मुन्ना लाल तंवर पुत्रगण श्री गैन्दा लाल तंवर नियासी A-25 नाकामदार, अजमेर के द्वारा नगर निगम की नाकामदार योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या A-25 क्षेत्रफल 622.22 वर्गगज को अपने नाम से नामान्तरण करवाये जाने बाबत दस्तावेज संलग्न कर आवेदन सं. LSG/AJMER/MUT/2023-24/119020 दिनांक 30.01.2025 को नामान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया है।प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त भूखण्ड मूल आवंटी श्री गैन्दा लाल तंवर पुत्र श्री चौथमल के नाम से आवंटित है जिसका लीज डीड पट्टा क्रमांक 1972 दिनांक 31.03.1998 संलग्न किया गया है। श्री गैन्दा लाल तंवर का स्वर्गवास दिनांक 27.08.2014 को हो चुका है। सजरा प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती रुपा देवी (पत्नी), श्री कन्हैया लाल (पुत्र), श्रीमती किरण देवी (पुत्री), श्री मुन्ना लाल तंवर (पुत्र) एवं श्रीमती मंजु (पुत्री) विधिक वारिस है। उपरोक्त वारिसों ने जरिये पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 25.07.2024 द्वारा अपने सहहिस्सेदार श्री कन्हैया लाल एवं श्री मुन्ना लाल तंवर के पक्ष में हकत्याग पत्र निष्पादित किया गया है। उक्त प्रकरण का निष्पादन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 116 के तहत आवेदित है जिसका निष्पादन धारा 118 के तहत प्रक्रियाधीन किया गया है। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आपत्ति प्रकाशन से 07 कार्य दिवस के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को नगर निगम कार्यालय की योजना शाखा में देखने/पढ़ने के लिए खुला रखा गया है इस अवधि में किसी भी हितबद्ध व्यक्ति/आम खास को कोई आपत्ति उज्र हो तो सूचना के प्रकाशन से 07 कार्य दिवस में मय पुख्ता दस्तावेजों के साथ अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है बाद मियाद नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा।

(कीर्ति कुमावत)
उपायुक्त, नगर निगम, अजमेर

कार्यालय जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी, जिला भीलवाड़ा (राज.)

क्रमांक/परि/भील/2024–25/3950 दिनांक 02/01/2025

नोटिस

वाहन संख्या RJ06-GC-2707 श्री नारायण रेवारी पुत्र श्री भंवर रेबारी निवासी – भगवानपुरा मोहल्ला, होडा, खाचरोल, जिला भीलवाड़ा नोटिस फार्म 37 पत्र क्र.स. 3858 दिनांक 01.01.2025 फाईनेसर– TVS CREDIT SERVICES LTD.	वाहन संख्या RJ06-GC-9856 श्री रमेश नाथ पुत्र श्री लखमा नाथ निवासी – सुखाडिया सर्कल, अजमेर रोड़, भीलवाड़ा नोटिस फार्म 37 पत्र क्र.स 3811 दिनांक 27.12.2024 फाईनेसर– Mahindra & Maindra Fin. Service Ltd.
वाहन संख्या RJ0G-EA-3313 श्री सोहन लाल रेगर पुत्र श्री नन्दा लाल रेगर निवासी – 73, सलाटियों से तिलस्वा रोड़, चांदजी की खेड़ी, बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा नोटिस फार्म 37 पत्र क्र.स. 3776 दिनांक 23.12.2024 फाईनेसर– CHOLAMANDALAM INVETMENT & FIN. CO. LTD.	

विषयः फाईनेसर के नाम फ्रेश आर.सी. जारी करने बाबत।

उक्त वाहन के फाईनेसरो ने अपने कब्जे में लेकर अपने नाम से फ्रेश आर.सी. जारी करने हेतु इस कार्यालय में आवेदन किया है कार्यालय के उपरोक्त पत्रांक से रजि0 एडी0 द्वारा नोटिस भिजवाया गया लेकिन अभी तक उसका कोई प्रत्युतर प्राप्त नहीं हुआ। तथा न ही किसी प्रकार की आपति/अभ्यावेदन प्रस्तुत हुआ है। समाचार पत्र में पुनः नोटिस प्रकाशित किया जा रहा है। नोटिस प्रकाशन के सात दिवस तक वाहन की मूल आर.सी. इस कार्यालय में प्रस्तुत कर दे या जो भी आपत्ति अभ्यावेदन हो मय साक्ष्य व प्रगाण के अधोहस्ताक्षर कर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर दें। इस अवधि उपरान्त कोई आपति स्वीकार्य नहीं होगी एवं तत्पश्चात U/S 51 (5) of CMV ACT 1988 के तहत फाईनेंसर के नाम फ्रेश आर.सी जारी कर दी जायेगी।

जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा (राज.)

आम सूचना

मैसर्स श्री तेजल पेट्रोलियम, खसरा नं. 554/62 एण्ड 553/62, गांव फलौदा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज.) जो कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस् के पास रजिस्ट्रेशन नं. RF/AJM/2023/4498 से पंजीकृत है। इस फर्म में साझेदारी विलेख दिनांक 10/09/2024 के अनुसार साझेदारों का लाभ हानि अनुपात निम्नानुसार है–

क्र. सं.	साझेदार का नाम	पुराना लाभ/हानि अनुपात
1	प्रवीण कुमार बैरवा पुत्र श्री रामेश्वर लाल निवासी धर्मशाला के पास, तिलोनिया, अजमेर (राज) 305816	50 प्रतिशत
2	तेज मल प्रजापति पुत्र श्री हनुमान प्रसाद प्रजापति निवासी 541, सोनगरा का जाव रत्ना रावत कॉलोनी, मालियों की ढाणी, किशनगढ़ अजमेर (राज.) 305801	30 प्रतिशत
3	अरविन्द चौधरी पुत्र श्री रंग लाल चौधरी निवासी मूंडोती, नरूकान, अजमेर (राज.) 305801	10 प्रतिशत
4	प्रवीण चौधरी पुत्र श्री रामलाल चौधरी निवासी जाटो का मौहल्ला, अजमेर (राज.) 305801	10 प्रतिशत

दिनांक 12.02.2025 को नया साझेदारी विलेख निष्पादित किया गया जिसमें आपसी सहमति से साझेदारों के लाभ/हानि अनुपात निर्धारित किया गया है–

क्र. सं.	साझेदार का नाम	नया लाभ/हानि अनुपात
1	प्रवीण कुमार बैरवा पुत्र श्री रामेश्वर लाल, निवासी धर्मशाला के पास, तिलोनिया, अजमेर (राज.) 305816	20 प्रतिशत
2	तेज मल प्रजापति पुत्र श्री हनुमान प्रसाद प्रजापति निवासी 541, सोनगरा का जाव रत्ना रावत कॉलोनी, मालियों की ढाणी, किशनगढ़ अजमेर (राज.) 305801	60 प्रतिशत
3	अरविन्द चौधरी पुत्र श्री रंग लाल चौधरी निवासी मूंडोती, नरूकान, अजमेर (राज.) 305801	10 प्रतिशत
4	प्रवीण चौधरी पुत्र श्री रामलाल चौधरी निवासी जाटो का मौहल्ला, अजमेर (राज.) 305801	10 प्रतिशत

अतः इस सम्बन्ध में यदि किसी को कोई भी आपत्ति या ऐतराज होवें तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस में अपना ऐतराज/आपत्ती रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, अजमेर पर प्रस्तुत करें बाद में कोई ऐतराज/आपत्ती मान्य नहीं होगा।

(प्रवीण कुमार बैरवा) (साझेदार) — (तेज मल प्रजापति) (साझेदार) — (अरविन्द चौधरी) (साझेदार) — (प्रवीण चौधरी) (साझेदार)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगरपरिषद कुचामन सिटी

Email : eo.mcorp.kuchaman@rajasthan.gov.in फोन नं. 01586-220022
munibkcity@gmail.com 01586-221526

क्रमांक :– न.प.कु./2024–25/7418 दिनांक :– 05.02.2025

लोक सूचना

निम्न लिखित आवेदको द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
1.	श्री लादूराम पुत्र उदाराम जाति गुर्जर	तहसील कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन	कुचामन सिटी	3734/201	1.4100 Hq. में से 0.1619 Hq.

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 05.02.2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी
आयुक्त नगरपरिषद कुचामन सिटी

शाहपुरा जिला बचाओ आंदोलन 43 वें दिन भी जारी

■ जिला समाप्त करने के विरोध में क्रमिक अनशन धरने पर मेवाड़ा कलाल समाज शाहपुरा के सदस्य बैठे

शाहपुरा । जिला बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा उपखंड कार्यालय शाहपुरा के बाहर क्रमिक अनशन धरने पर मेवाड़ा कलाल समाज के सदस्य पवन कुमार बसेर के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पर पहुंचकर शाहपुरा जिले को समाप्त करने के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार से शाहपुरा को वापस जिले का दर्जा देने की मांग की।

जिला बचाओ संघर्ष समिति शाहपुरा महासचिव कमलेश मुंडेतिया ने बताया कि मेवाड़ा कलाल समाज के पवन बसेर अरुण चौधरी अशोक चौधरी आशीष चौधरी नवीन चौधरी हेमलता बसेर कमलेश मेवाड़ा शकुंतला चौधरी सहित कई समाज जन कर्मिक अनशन धरने पर बैठे और उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम शाहपुरा जिला बहाल करने का ज्ञापन दिया। मेवाड़ा कलाल समाज के सदस्यों का जिला बचाओ संघर्ष समिति सदस्यों एवं अधिवक्ताओं ने माला पहना कर स्वागत किया। धरने को मेवाड़ा कलाल समाज के पवन कुमार बसेर कमलेश मेवाड़ा नवीन मेवाड़ा ने संबोधित करते हुए का कहा कि जिले को समाप्त करने से शाहपुरा का विकास एवं रोजगार के अवसर घटेंगे इसलिए सरकार शाहपुरा को वापस जिला का दर्जा प्रदान करें ।

धरना स्थल पर ही संघर्ष समिति सदस्यों की बैठक में संघर्ष समिति के अध्यक्ष दुर्गा लाल राजोरा ने विधायक के प्रतिनिधिमंडल से हुई वार्ता की जानकारी देते हुए कहा कि धरना और आंदोलन निरंतर जारी रहेगा एव विधानसभा में बजट सत्र में शाहपुरा जिले की पुन बहाली की मांग पुरजोर तरीके से तथ्यों और आंकड़ों के साथ विधायक के विधानसभा में रखने और आंदोलन को प्रभावित नहीं करेंगे इस पर सहमति बनी है। संयोजक रामप्रसाद जाट ने बताया कि आंदोलन नियमित और निरंतर अनवरत पूर्व की भांति शाहपुरा को जिला का दर्जा मिलने तक जारी रहेगा। शाहपुरा जिला बचाओ संघर्ष समिति महासचिव एवं अभिभाषक संस्था सहसचिव कमलेश मुंडेतिया ने बताया कि आंदोलन में अब विभिन्न सामाजिक संगठनों और समाजों के साथ-साथ ग्राम पंचायत और नगर परिषद शाहपुरा वार्ड वासियों का वार्ड वाइज क्रमिक धरना दिया जाएगा जिसकी रूपरेखा और रणनीति संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ तय कर जिम्मेदारी प्रदान की गई है संघर्ष समिति के सदस्य राजेंद्र बोहरा हाजी उस्मान मोहम्मद छिपा रामेश्वर सोलंकी संदीप जीनगर उदय लाल बेरवा सत्यनारायण पाठक ताजुद्दीन प्रवीण कुमार दीपक बेरवा विजय टेपलर शंकर खटीक रामस्वरूप टेपन सदिक पठान अविनाश शर्मा छोटू रंगरेज धनराज जीनगर एवं अभिभाषक संस्था सचिव वीरेंद्र पथरिया पुस्तकालय अध्यक्ष दीपक मीणा अधिवक्ता गोविंद सिंह हाडा त्रिलोकचंद नौलखा कल्याणमल धाकड़ शरीफ मोहम्मद पन्नालाल खारोल चावंड सिंह शक्तावत संजय सिंह हाडा अंकित शर्मा ताज मोहम्मद सबदर अली अंकित मालू सहित कहीं सदस्यों ने विचार रखें। 14 फरवरी को विश्वकर्मा पांचाल लोहार समाज के समाजजन क्रमिक अनशन धरने पर बैठेंगे।

अहल्याबाई होलकर का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया

शाहपुरा । अखिल भारतीय साहित्य परिषद शाहपुरा शाखा द्वारा पुण्यश्लोक राजमाता अहल्याबाई होलकर का जन्म शताब्दी वर्ष धाकड़ छात्रावास कलिंजरी गेट शाहपुरा में मनाया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत परमेश्वर प्रसाद परम ने कीर्तन से की। अहल्याबाई होलकर का संक्षिप्त परिचय व अतिथियों का परिचय अखिल भारतीय साहित्य परिषद शाहपुरा शाखा के युवा प्रकोष्ठ प्रमुख ओम माली अंगारा ने करवाया।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता तोरण सिंह सहायक आचार्य प्रताप सिंह बारहठ महाविद्यालय शाहपुरा ने अहल्याबाई होलकर के जीवन व कृतित्व पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता ने बताया कि किस प्रकार अहल्याबाई 8 वर्ष की आयु में ही शिवस्त्रोतम् का पाठ किया करती थी। विवाहोपरांत पति खांडेराव के निधन के बाद अहल्याबाई ने प्रजाहित में न्यायपूर्ण शासन किया। अहल्याबाई होलकर की न्यायप्रियता के बारे में मुख्य वक्ता ने कहा कि जब अहल्याबाई के पुत्र ने ही गो हत्या का अपराध किया तो अहल्याबाई होलकर ने अपने-पराये का भेद छोड़कर अपने पुत्र के लिए वही दण्ड निर्धारित किया जो एक गो हत्यारे को दिया जाना था। तोरण सिंह ने अहल्याबाई होलकर के जीवन के अनेक पक्षों पर प्रकाश डाला।

आधार कार्ड को सही कराने लोग उमड़े

अजमेर। अजमेर नगर निगम वार्ड 44 में आधार कार्ड से जुडी समस्याओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष नगर निगम अजमेर डॉक्टर द्रोपदी कोली द्वारा और भारतीय डाक विभाग के सौजन्य से आधार कार्ड को अपग्रेड करने , पता परिवर्तन करने, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जुडवाने आदि समस्याओं के निराकरण हेतु एक शिविर का आयोजन सामुदायिक भवन सब्जी मंडी भजनगंज स्थित शिव मंदिर में किया गया। जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ-चढकर हिस्सा लिया । इस कैंप में सबसे कम डेढ माह की बच्ची का भी आधार कार्ड बनाया गया।।साथ ही डाक विभाग से जुडी सुकन्या और अन्य योजनाओं को भी क्रियान्वित किया गया। इसमें स्थानीय कार्यकर्ताओं हरिप्रसाद जाटव, मोक्ष नोनिया, पुष्पा राजोरिया , मुकेश टेलर, राजू, सोनू तंवर इत्यादि का सहयोग रहा।

संभागीय अधिवेशन 2 को

अजमेर, (कासं)। लायंस क्लब इंटरनेशनल के प्रांत 3233 ई 2 के संभाग 2 का संभागीय अधिवेशन 2 मार्च को सूचना केंद्र में संभागीय अध्यक्ष लायन अमितप्रभा शुक्ला की अध्यक्षता में सेवा एवं संस्कार की भावना के साथ आयोजित किया जाएगा।

डिस्ट्रिक मीडिया कॉर्डिनेटर एमजेएफ लायन राजेंद्र गांधी ने बताया कि लायंस क्लब अजमेर वेस्ट के तत्वावधान में होने वाले इस अधिवेशन में संभाग के समस्त क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं क्लब्स भाग लेंगे। जिसमें संभाग के अधीन आने वाले सभी क्लब अध्यक्ष द्वारा अब तक किए गए सेवा कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। क्लब अध्यक्ष लायन चरणप्रकाश गुप्ता ने बताया कि प्रातः 10 बजे रजिस्ट्रेशन एवं फेलोशिप होगा। उससे पूर्व 9 बजे बजरंगगढ़ सर्किल से लायंस इमेज की रैली निकाली जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई सूचना केंद्र में समाप्त होगी । कार्यक्रम संयोजक लायन ने बताया कि अधिवेशन के मुख्य अतिथि प्रांत 3233 जी 1 की पूर्व प्रांतपाल लायन रश्मि गुप्ता होगी । अधिवेशन में प्रांतीय पदाधिकारियों, पूर्व प्रांतपालगण, सम्भागीय अध्यक्ष, संभाग के सभी क्लब्स के सदस्य भाग लेंगे।

नाम परिवर्तन

मेरे पिताजी का पूर्व में नाम अशोक कुमार लालवानी था जिसे उन्होंने बदलकर अशोक लालवानी रख लिया है, अतः भविष्य में उन्हें इसी नाम से जाना जाए। पता- साहिल लालवानी, अभियंता नगर, वैशाली नगर, अजमेर

NAME CHANGE

I, Army No 16111636Y.L/HAV - MACHUPALLI HARINADHA REDDY, Unit-ADHOC CBRN (HQ 475 ENGR BDE) C/O 56 APO, have changed my Wife name from M. ANITHA DEVI to MACHUPALLI ANITHA DEVI in my army service records and all times here after all records, AFF-BW 941633. date 08 Feb 2025 Notary Nasirabad

आम सूचना

हम लीला देवी पत्नी छीतरमल, छीतरमल पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी गैजी तहसील दूदू , जिला जयपुर के द्वारा आजाद नगर मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित प्लाट 48 गुणा 45 फीट कुल 280 वर्गगज का प्लाट क्रय किया था। उक्त प्लाट विक्रय ईकरारनामा द्वारा क्रय किया गया था। जिसको विक्रय करने के लिए खाली स्टाम्प क्रय कर रखे थे। मूल दस्तावेजों का बैग किशनगढ़ मदनगंज चौराहे या कहीं गिर गया तथा अभी हाल ही में उक्त प्लाट को विक्रय हेतु कागजात देखे तो नहीं मिले। उक्त प्लाट के दस्तावेज किसी के पास हो तो निम्न पते पर भिजवाये। उज्र हो तो सूचित करवाये वरना मियाद गुजरने के बाद कोई आपत्ति स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होगी। सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में आपति प्रस्तुत की जा सकेगी। प्रार्थी- छीतरमल पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी गैजी तहसील दूदू जिला जयपुर राज. मो 9928178978

आम सूचना

मेरी बेटी सरोज पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी दादिया की मृत्यु दिनांक 11-5-2013 को मेरे निवास स्थान दादिया में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत दादिया में नहीं करवाया था। अब मैं मेरी पुत्री सरोज का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अरांई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अरांई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

प्रार्थी- रामसिंह पुत्र चन्द्रा जाति जाट
निवासी दादिया तह. अरांई (अजमेर)

LSG/BEAWAR/MUT/2024-25/119021 DATE :-30-01-2025 रजि बेचान-नामा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2024-25/11766 दिनांक: 05-02-2025

सार्वजनिक सूचना

श्री प्रेमचन्द मंगलानी पुत्र श्री मुरलीधर मंगलानी निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 6 नन्द नगर मकान नं. 8/18 प्लाट नं. 66 से 68 का पश्चिमी भाग क्षेत्रफल 440.92 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में श्रीमति मधु अग्रवाल पत्नी श्री ओमप्रकाश अग्रवाल के नाम दर्ज है। रजि बेचान-नामा दिनांक 21.01.2025 व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध मे किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपति विचारणीय नहीं होगी।

आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर

गेट पर तालाबंदी

भीलवाड़ा। छात्रहित के विभिन्न मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र-छात्राओं ने माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के गेट पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया।

छात्र प्रतिनिधि दीपा जाट ने कहा विद्यार्थी परिषद अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। परिषद ने छात्र हितों के लिए 2 फरवरी को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन स्थानीय कॉलेज प्रशासन ने यूनिर्वसिटी तक अपनी बात नहीं पहुंचाई। जाट ने बताया कि विद्यार्थियों का न तो समय पर प्रवेश होता है, ना परीक्षा और ना ही परिणाम समय पर जारी होता है। जबकि निजी कॉलेज के बराबर 20 से 25 हजार रुपये की फीस वसूली जा रही है। इसके बावजूद भी विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद करने के लिए उन्हें जीरो-जीरो नंबर देकर उनके रिजल्ट में धांधली की जा रही है। ऐसे में विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में है। छात्रा जाट ने कहा कि उनका यूनिर्वसिटी प्रशासन से निवेदन है कि आप अपनी जेबें भरिये, बे फिक्र होकर भरिये, परंतु इन विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में मत डालिये। इससे पहले आज विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र-छात्राओं ने कॉलेज गेट पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। उधर, प्रदर्शन को देखते हुये कोतवाली थाने का जाब्ता भी कॉलेज गेट पर तैनात किया गया। प्रदर्शन के दौरान ममता आचार्य, भावेश छिपा, खुशी प्रजापत, हर्षिता वैष्णव, खुशी गोस्वामी, राजवीर आदि कार्यकर्त्ता उपस्थित थे। इस दौरान एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें पुनः मूल्यांकन प्रणाली को दुबारा शुरू किया जाये, पूरक परीक्षा के कठोर नियम को सरल किया जाये।सेमेस्टर प्रणाली के माध्यम से ली जा रही अधिक फीस को कम किया जाये। विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय सेमिस्टर में छात्र-छात्राओं की अंकतालिका में की जा रही अनियमितताओं को सुधारा जायें। सेमेस्टर प्रणाली के सत्र (प्रवेश, परीक्षा और परिणाम) समय पर करवायें सहित मांगे कॉलेज प्रशासन के समक्ष रखी गई।

डीआईजी ओम प्रकाश ने 15 हजार लोगों से किया सीधा संवाद किया

अजमेर, (कासं)। अजमेर रेंज के डीआईजी ओम प्रकाश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेंज के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों और आम लोगों से सीधा संवाद किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि पीडित् लोगों की शिकायतों का गंभीरता से समाधान किया जाए। कोई भी पीडित् व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ अपनी शिकायत मोबाइल पर दर्ज करवाए। इसलिए उन्होंने मोबाइल नंबर 8764853020 सार्वजनिक जारी किया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेंज में आने वाले अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, ब्यावर, डीडवाना के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ अजमेर रेंज डीआईजी ओम प्रकाश ने सीधा संवाद किया, उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जनसहयोग से अपराधों पर नियंत्रण करना चाहिए। कई बार अपराध से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं लोगों के माध्यम से मिल जाती है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा, जब पुलिस अधिकारी समाज के जागरूक लोगों के साथ संवाद रखेंगे। उन्होंने माना कि साइबर क्राइम की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने मोबाइल पर लेनदेन करते हैं, उन्हें साइबर क्राइम के प्रति ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है।

साइबर क्राइम के प्रति जागरुक रहने की जरुरत:डीआईजी ओम प्रकाश ने कहा कि आमतौर पर देखा गया है कि लापरवाही और अज्ञानता का फायदा उठाकर ही साइबर ठगी की जाती है। हालांकि अब साइबर ठगों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है, लेकिन फिर भी लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। पुलिस भी अपनी ओर से लोगों को जागरूक करने का काम समय समय पर करती है।

साइबर ठगी की शिकायत मिलने पर पुलिस तत्काल कार्यवाही करती है। कई लोगों की राशि वापस भी आई है। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी बैंकों की भी है। बैंकों को भी अपने ग्राहकों को साइबर अपराध से बचने की जानकारी देनी चाहिए। यहां उल्लेखनीय है कि अजमेर रेंज में अपराधों को रोकने और पीडित्ों को राहत दिलवाने में डीआईजी ओम प्रकाश नवाचार कर रहे है। इसके लिए वह कम्प्यूटर तकनीक का भी उपयोग कर रहे है। इसके अंतर्गत रेंज के पीडित्ों से वे माह में एक बार सीधा संवाद करते हैं। कोई भी पीडित् निकटतम पुलिस स्टेशन पर जाकर डीआईजी से बात कर सकता है।

डॉ.विकास, डॉ.कनिका ने कुंभ में डुबकी लगाई

अजमेर, (कासं)। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहर लाल नेहरू अस्पताल के चिकित्सक डॉ.विकास गुप्ता और डॉ.कनिका सिंहल 7 फरवरी को 15 सदस्यीय परिजन के साथ प्रयागराज कुंभ मेले में स्नान के लिए गए थे। संगम स्नान